बालोद विधानसभा में मतदान व्यवहार का विश्लेषण
(विधानसभा चुनाव 2008 एवं उपचुनाव 2011 के संदर्भ में)

पं. रविशंकर शुक्ल वि. वि. रायपुर (छ.ग.)

सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत राजनीति विज्ञान विषय में
पी-एच. डी. की उपाधि हेतु प्रस्तुत विषयानुक्रमणिका
शोध प्रबंध
वर्ष – 2013

शोध निर्देशिका

डॉ. नागरत्ना गनवीर
सहायक प्राध्यापक
(राजनीति विज्ञान विभाग)
शासकीय महाविद्यालय,
नगरी–सिहावा (छ.ग.)

सह निर्देशक

डॉ. अजय चन्द्राकर
विभागाध्यक्ष
(राजनीति विज्ञान विभाग)
दुर्गा महाविद्यालय ,
रायपुर (छ.ग).

शोध छात्रा

रजनी पटेल

अग्रेषित

प्राचार्य
डॉ. एस.एस. खनूजा
दुर्गा महाविद्यालय रायपुर(छ.ग)

शोध केन्द्र – दुर्गा महाविद्यालय , रायपुर (छ.ग).

1.भूमिका :–

1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद से ही उसके अधिवेशनों में यह मांग की गई कि केन्द्रीय तथा प्रान्तीय परिषदों का विस्तार किया जाए। कम से कम आधे सदस्य परिषद् में निर्वाचित हों तथा उनकी शक्तियों में वृद्धि की जाए। लार्ड डफरिन ने निर्वाचन प्रणाली की मांग को अव्यवहारिक बताया और कहा कि भारत में निरक्षरता अधिक है और राजनीतिक जागृति की कमी है।

भारतीयों की मांग के परिणामस्वरूप ही भारतीय परिषद् अधिनियम 1892 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इसी अधिनियम से भारत में चुनाव प्रणाली की शुरूआत हुई; चाहे इस प्रणाली का रूप अप्रत्यक्ष ही रहा था।

ब्रिटेन की संसद ने भारत के लिए 1909 में एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किया जिसे मिण्टो मार्ले सुधार कहते हैं। इसके द्वारा प्रतिनिधिक और निर्वाचित तत्व का समावेश करने का पहला प्रयत्न किया गया। इनसे परिषदों के आकार में वृद्धि की गई और इसमें कुछ निर्वाचित गैर सरकारी सदस्य सम्मिलित किए गए। इस अधिनियम के द्वारा जो निर्वाचन की पद्धति अपनाई गई उसमें बडा दोष यह था कि इसमें मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबन्ध किया गया था; साथ ही सीमित मताधिकार दिया गया था जो आर्थिक भेदभावों पर आधारित था। केन्द्रीय और विधायी परिषदों में उम्मीदवारों की योग्यताएं भी नियमों द्वारा निश्चित की गई थी। ये योग्यताएं भी अलग–अलग प्रान्तों में भिन्न–भिन्न थीं ।

1919 के अधिनियम ने प्रत्यक्ष निर्वाचन का सूत्रपात कर मताधिकार के दायरे को बढ़ाया परन्तु इसके बाद भी केन्द्रीय विधान परिषद एक उत्तरदायी एवं लोकतांत्रिक संस्था नहीं थी। इस अधिनियम में भी मताधिकार सम्पत्ति संबधी योग्यताओं पर आधारित था। महिलाओं को राज्य परिषद् के लिए मताधिकार से वंचित रखा गया था। केन्द्रीय विधानसभा परिषद् के ऊपर वाले सदन को जैसा होना चाहिए,वैसा बनाया गया। परन्तु वास्तव में यह एक

धनिक वर्ग का प्रतिनिधि निकाय थी। राज्य परिषद में जमींदार और सम्पत्तिवान होते थे। जिन्हें भारतीय जनता का प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता था।

1935 के अधिनियम द्वारा मताधिकार का विस्तार होने पर भी बहुत कम व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त था। प्रान्तो में विधान मण्डलों के लिए मत देने का अधिकार कुल जनसंख्या के केवल 10 प्रतिशत भाग को ही था। दोषपूर्ण चुनाव प्रणाली का परिणाम यह हुआ कि विधान परिषदें जनता की सही प्रतिनिधि नहीं बन पाईं ।

हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तब हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया ताकि हमारे देश की शासन व्यवस्था जनता का उचित प्रतिनिधित्व कर सके। इसके अनुसार प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि या उससे पूर्व विशेष परिस्थितियों में जनता निर्वाचन द्वारा अपने जन प्रतिनिधियों का चयन करती है। लोकतंत्र की सफलता और सुरक्षा इस तथ्य में निहित है कि जनता द्वारा प्रतिनिधियों के निर्वाचन की व्यवस्था कितनी सक्षम है? निर्वाचन तंत्र कितना कुशल है? एवं कितना निष्पक्ष व स्वतंत्र है? जनता कितने योग्य उम्मीदवारों को चुनती है?

हमारे देश के नागरिक अपनी सरकार का निर्वाचन संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के प्रभाव से करते हैं। मतदान का अधिकार अपने आप में कोई मौलिक अधिकार नही है अपितु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का ही एक भाग है। मत देने का अधिकार नागरिकों को सविंधान के अनु. 19 (1) (ए) के तहत मिलता है जबकि मतदाता बनने का अधिकार नागरिकों को अनुच्छेद 326 से प्राप्त होता है। भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष हो मतदान कर सकता है ।

लोकतंत्र के सुचारू व्यवस्था के लिए निर्वाचन प्रणाली आवश्यक है। भारत में चुनाव एक संवैधानिक संस्था द्वारा कराए जाते है जिसे निर्वाचन आयोग कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियंत्रण एवं अधीक्षण में ही लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधान मण्डल आदि के चुनाव सम्पन्न होंगे ।

सफल लोकतंत्र की स्थापना तभी हो सकती है जब निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष हो लेकिन निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। जैसे – मतदान केन्द्रों पर कब्जा, जाली मतदान; मतदान पूर्व शराब, कंबल या सायकल वितरित करना; घूस देना; अपने पक्ष में मत देने के लिए दबाव डालना आदि ।

पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था – ''लोकतंत्र में हमें शालीनता के साथ जीतना और हारना भी सीखना चाहिए। जो जीते वो गुरूर न करें और जो हारें वो हिम्मत न हारें ।नतीजे से भी बढ़कर यह चीज है कि हम किस ढंग से हारते या जीतते हैं। सही तरीके से हारना गलत तरीके से जीतने से कहीं अच्छा है सच तो यह है कि गलत तरीकों और अनुचित हथकण्डों से सफलता मिले भी तो उस सफलता का मूल्य खत्म हो जाता है ''।

भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में चुनाव प्रक्रिया यह दर्शाती है कि राजनीतिक सत्ता का आधार सर्वसाधारण जनता है और सत्ता उसी की अमानत है। इसी कारण इनसे अपेक्षा की जाती है कि वे राजनीतिक कर्तव्य की भावना से और प्रजातांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए मतदान में भाग लें, परन्तु मतदाता अपने अधिकार और कर्तव्य की सुदृढ़ भावना की अपेक्षा छोटे–छोटे निजी हितो; आर्थिक तथा अन्य प्रकार के प्रलोभनों से प्रेरित होकर मतदान करते हैं ।

छ.ग. में 2003 के विधानसभा चुनाव में कुल 1,35,43,656 मतदाता थे जिसमें 68,11,150 पुरूष और 67,32,506 महिला थे। इसमें से 96,56,162,(71. 29 प्रतिशत) लोगों ने 15,767 मतदान केन्द्रों में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिसमें 50,84,506 पुरूष और 45,71,666 महिला थे । कुल वैध मतों की संख्या 96,53,571 थी ।

2008 के विधानसभा चुनाव में कुल मतदाता 1,52,17,228 थे जिसमें से 70.58 प्रतिशत लोगों ने 20979 मतदान केन्द्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया ।

मेरा अध्ययन क्षेत्र बालोद विधानसभा है। इस विधानसभा में 2003 के चुनाव में कुल 1,56,936 मतदाता थे जिसमें से 77724 पुरूष तथा 79212 महिला थे । इसमें से 1,32,245 मतदाताओं ने 167 मतदान केन्द्रों में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिसमें 66,403 पुरूष और 65, 842 स्त्री मतदाता थे।

2008 के विधानसभा चुनाव में कुल मतदाता 1,64,280 थे जिसमें 81,855 पुरूष और 82,425 महिला थे। जिसमें से 1,32,586 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। इसमें 65,672 पुरूषों और 66, 914 महिलाओं ने 187 मतदान केन्द्रों पर मतदान किया ।

राज्यों में सरकार के गठन के लिए प्रतिनिधियों का चयन विधानसभा चुनाव द्वारा होता है। विधानसभा लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। शोधार्थी द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया है कि मतदाता किन तत्वों से प्रभावित होकर अपने मत का प्रयोग करते हैं या दूसरें शब्दों में कहें तो कौन–कौन से कारक हैं जो मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं।

2.शोध का उद्‌देश्य –:

प्रस्तुत अध्ययन हेतु निम्न उद्‌देश्यों को आधार माना गया है –:

1. यह जानना कि क्या मतदाता विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उनके उम्मीदवारों द्वारा चुनाव पूर्व जारी किए गए घोषणा पत्रों से प्रभावित होकर मतदान करते हैं?

2. यह जानना कि क्या महिला मतदाताएं अपने करीबी रिश्तेदारों द्वारा बताए गए प्रत्याशियों को ही मतदान करती हैं या स्वविवेक से मतदान करती हैं।

3. यह जानना कि क्या मतदाता किसी प्रत्याशी को सिर्फ इस आधार पर मत देते हैं कि वह किसी विशेष राजनीतिक दल से संबद्ध है अथवा उसकी योग्यता के आधार पर जैसे –: उम्मीदवार पढ़ा लिखा है; विद्वान है; ईमानदार और सदाचारी है; के कारण मतदान करते हैं।

4. यह जानना कि क्या मतदाता उन्हें दिए गए किसी भी प्रकार के प्रलोभनों से प्रभावित होकर मतदान करते हैं।

5. यह जानना कि क्या मतदाता क्षेत्रीय राजनैतिक दलों से प्रभावित होकर मतदान करते हैं।

6. क्या जातीय, वर्गीय या पंथीय दबाव समूह से प्रभावित होकर मतदाता मतदान करते हैं।

7. यह जानना कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ज्यादा क्यों है।

विधानसभा चुनाव – 2008 के परिणाम

क्रं.	प्रत्याशी का नाम	राजनीतिक दल	मतों की संख्या	प्रतिशत
1	मदन साहू	भारतीय जनता पार्टी	56,620	42.50%
2	मोहन पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस	49,984	37.52%
3	लोकेन्द्र यादव	समाजवादी पार्टी	12,198	9.16%
4	कृष्णा राम साहू	बहुजन समाज पार्टी	7624	5.72%
5	लोकेन्द्र साहू	निर्दलीय	2882	2.16%
6	सूबेलाल साहू	अपनादल	1604	1.20%
7	अनिमा	लोक जन शक्ति पार्टी	1315	0.99%
8	अमरीका बाई मरकाम	गोणवाना गणतंत्र पार्टी	980	0.74%

59 संजारी बालोद विधानसभा चुनाव 2008 के उम्मीदवारों के व्यय

क्र	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम	पार्टी का नाम	क्या लेखा दाखिल कर दिया गया है	लेखा दाखिल करने की तारीख	क्या लेखा समय से दाखिल किया गया है	दाखिल किये गये लेख के अनुसार कुल व्यय
1	कृष्णा राम साहू	बहुजन समाज पार्टी	नहीं	नहीं	नहीं	अप्राप्त
2	मदन साहू	भारतीय जनता पार्टी	हां	05/01/2009	हां	54,37,50.00
3	मोहन पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस	हां	05/01/2009	हां	60,1264,43
4	अनिमा	लोक जन शक्ति पार्टी	नहीं		नहीं	अप्राप्त
5	अमरीका बाई मरकाम	गोणवाना गंणतंत्र पार्टी	–	.	–	अप्राप्त
6	लोकेन्द्र यादव	समाजवादी पार्टी	हां	07/07/2009	हां	196381.00
7	सूबेलाल	अपनादल	–	–	–	अप्राप्त
8	लोकेन्द्र साहू	निर्दलीय	–	–	–	अप्राप्त

बालोद –उपचुनाव–2011 के परिणाम

क्रं.	प्रत्याशी का नाम	राजनैतिक दल	प्राप्त मतों की संख्या
1	कुमारी बाई मदन साहू	भारतीय जनता पार्टी	64185
2	मोहन पटेल	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	54520
3	उमेंदीराम गंगराले	निर्दलीय	6524
4	मो.हनीफ	निर्दलीय	3603
5	निरंजना साहू	छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच	2231
6	सीताराम ठाकुर	निर्दलीय	1694
7	श्री कांत कसेर	राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी	654
8	राजेन्द्र कुमार	निर्दलीय	438
9	श्यामाबाई मार्कण्डेय	निर्दलीय	413
10	गोपीराम सिवना	निर्दलीय	294
11	प्रभुराम साहू	निर्दलीय	219
12	गुरूद्दा लोकेश	आजाद जनता पार्टी	209
13	रमजान खान	निर्दलीय	191
14	भोमलाल मंडावी	निर्दलीय	184
15	हरीलाल पटेल	सुंदर समाज पार्टी	135
		कुल डाले गए मत	1,35,494

81 –बालोद विधान सभा क्षेत्र

पार्टी संक्षिप्त नाम	वर्तमान पार्टी की स्थिति	2003	1998	1993	1990	1985	1980	1977
BJP	N	35.85	45.34	45.12		14.13	34.12	-
BSP	N	1.86	-	0.83	1.24	-	-	-
CPI	N	-	-	-	-	3.94	-	-
INC	N	25.92	40.47	47.75	33.69	54.96	-	34.84
INC(I)	NE		-	-	-	-	57.63	-
JD	NE	-	-	0.84	31.11	-	-	-
JD (U)	S	0.82	-	-	-	-	-	18.19
JNP	NE	-	-	-	-	-	-	
NCP	N	17.74	-	-	-	-	-	
SAP	-	-	0.65	-	-	-	-	
SP	S	0.92	0.56	-	-	-	-	

N :- National party , NE-Dose not exist, S- State party

विजयी प्रत्याशियों की सूची बालोद विधानसभा

S. No.	year	Voter in 1000	Voter Turnout (%)	Winner			Runner up		
				Candidate's name	percentage	party	Candidate's name	percentage	party
1	2003	132.25	84.27	प्रीतम साहू	35.85	BJP	लोकेन्द्र यादव	25.92	INC
2	1998	109.16	77.62	लोकेन्द्र यादव	45.34	BJP	जालम सिंह पटेल	40.47	INC
3	1993	96.06	75.9	जालम सिंह पटेल	47.75	INC	कृपाराम हीरालाल साहू	45.12	BJP
4	1990	76.64	63.46	जालम सिंह पटेल	33.69	INC	चमनलाल साहू	31.11	JD
5	1985	56.3	60.66	जालम सिंह पटेल	54.95	INC	सहदेव साहू	21.82	IND
6	1980	43.23	52.49	हीरालाल सोनबेर	57.63	INC (I)	नारायणराव पवार	34.12	BJP
7	1977	48.05	61.66	मिश्रीलाल खत्री	44.27	IND	हीरालाल	34.84	INC

3.उपकल्पना –:

उपकल्पना समस्याओं के अनुमानित समाधान या प्रश्नों का संभावित उत्तर होते हैं। जिनकी बाद में विधिवत् जांच, विश्लेषण या परीक्षण की जाती है। प्रस्तुत शोध की उपकल्पनाऐं निम्न हैं –:

1. मतदाता प्रत्याशियों के गुणों जैसे वह पढ़ा लिखा है; ईमानदार है; आपराधिक प्रकृति का नही है; से प्रभावित होकर नहीं अपितु राजनैतिक दल से प्रभावित होकर मत का प्रयोग करते हैं।

2. मतदाता निर्वाचन अभियान के दौरान किए जाने वाले प्रचार प्रसार के प्रभाव में आकर मतदान करते हैं।

3. मतदाता कृषक, जातीय, वर्गीय, पंथीय, कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए बने संस्थाओं द्वारा दबाव समूह के प्रभाव में आकर मतदान करते हैं।

4. युवा अथवा छात्र; छात्र संगठनों के प्रभाव में आकर मतदान करते हैं।

5. किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति से पीढ़ी दर पीढी प्रतिबद्धता के फलस्वरूप मतदाता उसी व्यक्ति या राजनीतिक दल को मत देते हैं।

6. राष्ट्रीय स्तर पर किसी राजनीतिक दल के नेता की छवि, क्षेत्रीय स्तर पर होने वाली चुनाव को प्रभावित करती है।

7. चुनाव में विशेषकर उपचुनाव में किसी प्रत्याशी अथवा उसके परिवार के साथ घटित कोई दुर्घटना आदि से उत्पन्न सहानुभूति भी मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है।

4.मैने इस विषय का चयन क्यों किया :—

एम. फिल. करने के बाद मेरी इच्छा थी कि मुझे जब भी शोध कार्य करने का अवसर मिलेगा; तो मैं भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मतदान के अधिकार पर शोध कार्य करूं। अब भारत में राजनीतिक विकास एवं मतदान के प्रति जागरूकता हो रही है; तो मैं मतदान के व्यवहार विषय को समझना चाहती हूं इसलिए मैने इस विषय का चयन किया। चूंकि मेरा निवास स्थान वर्तमान समय में बालोद है,जो अब जिला भी बन गया है। छ.ग. की राजनीति में बालोद जिला का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा चिन्तन लेकर मैंने अपने कर्मभूमि के लिए इस विधान सभा का चयन किया है। मैं धन्यवाद करती हूं दुर्गा महाविद्यालय केंन्द्र का जिसने इस विषय पर शोध कार्य करने की मुझे अनुमति प्रदान की ।

5.शोध का प्रबंध अध्याय :–

अध्यायीकरण –

अध्याय – 1

(अ) मतदान का अर्थ व महत्व

(ब) मतदान की विभिन्न प्रणालियां

(स) भारत में मतदान की संवैधानिक व्यवस्था एवं प्रक्रिया

(द) छ.ग. में मतदान

अध्याय – 2

बालोद विधानसभा का सामान्य परिचय

(क) ऐतिहासिक परिचय

(ख) भौगौलिक परिचय

(ग) जनसंख्यात्मक परिचय

(घ) शैक्षणिक परिचय

(डं) समाजिक परिचय

(च) राजनैतिक परिचय

(छ) आर्थिक परिचय

अध्याय – 3

बालोद विधानसभा चुनाव 2008 में निर्वाचन की घोषणा एवं चुनाव की प्रक्रिया

(क) चुनाव की घोषणा

(ख) बालोद विधान सभा क्षेत्र में इसका प्रभाव

(ग) राजनीतिक दलों द्वारा विधान सभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का चयन

(घ) नामांकन, नामवापसी और दावाआपत्ति

(ङं) चुनाव प्रचार और दलीय घोषणा पत्र

बालोद विधानसभा उपचुनाव 2011 में निर्वाचन की घोषणा एवं चुनाव की प्रक्रिया

(क) चुनाव की घोषणा

(ख) बालोद विधान सभा क्षेत्र में इसका प्रभाव

(ग) राजनीतिक दलों द्वारा विधान सभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का चयन

(घ) नामांकन, नामवापसी और दावाआपत्ति

(ङं) चुनाव प्रचार और दलीय घोषणा पत्र

अध्याय – 4

2008 के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों का विवरण

(क) शैक्षणिक एवं आयु के आधार पर

(ख) व्यवसाय के आधार पर

(ग) सम्पत्ति के आधार पर

(घ) राजनैतिक आधार पर

(ङं) सामाजिक आधार पर

2011 के विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशियों का विवरण

(क) शिक्षा एवं आयु के आधार पर

(ख) व्यवसाय के आधार पर

(ग) सम्पत्ति के आधार पर

(घ) राजनैतिक आधार पर

(ङं) सामाजिक आधार पर

अध्याय – 5

बालोद विधानसभा चुनाव 2008 एवं उपचुनाव 2011 के मतदान का परिणाम

अध्याय – 6

विधानसभा चुनाव 2008 एवं उपचुनाव 2011 के मतदान के नतीजों का विश्लेषण

अध्याय – 7

निष्कर्ष एवं सुझाव

संदर्भ ग्रंथ सूची

6. विषय पर पूर्व में किए गए शोधों का पुनर्विलोकन

मतदान व्यवहार पर किए गए शोधों में मतदान व्यवहार के अलग–अलग क्षेत्रों में शोध कार्य हुआ है लेकिन बालोद विधानसभा के क्षेत्र के संदर्भ में अब तक शोध कार्य नहीं हुआ है।

1. गुप्त, डॉ. गीता (26 अप्रेल 2009 डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. देशबंधु डॉट कॉम) ने अपने लेख ''मतदान''

   में लिखा है कि मतदान पूर्व महिलाओं को राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है। अभी स्त्रियां मतदान का महत्व नही समझ पाई हैं; न ही अपने राजनीतिक अधिकारों के बारे में ज्ञान है। यह निश्चित रूप से आवश्यक है कि सार्वजनिक दल अपने चुनाव घोषणा पत्रों में पुरूष प्रधान चरित्र से ऊपर उठ कर महिला नीति को प्राथमिकता दें।

2. तोमर डॉ. पी.एम.एस. एवं जैन डॉ. राजेश ने अपने शोध पत्र ''भारत में प्रथम संसदीय निर्वाचन 1951 : एक विश्लेषण ''

   में लिखा है कि विगत 8–10 वर्षों में घटित राजनीतिक घटनाओं के संदर्भ में यह प्रश्न किया जाने लगा है कि भारतीय लोकतन्त्र आज कितना परिपक्व है ?क्योंकि मतदान के लगातार गिरते स्तर, संसद में सवांद का खो जाना ,संसदीय व्यवस्था का सूचकांक तेजी से गिरना एंव सिद्धांत, शैली, संस्कृति जो लोकतन्त्र के आधार हैं; उनका अभाव होना, राजनीतिक दलों का गिरता स्तर ,सत्ता के उन्माद, पदलोलुपता, सिद्धांतहीनता और खुदगर्जी के गलियारों में अपनी राह खो चुके राजनेता एक ऐसे चक्रव्यूह की रचना कर रहे हैं जिसमें लोकतन्त्र का अभिमन्यु बचकर कैसे निकल पायेगा; यह एक विचारणीय प्रश्न है।

3. डॉ.जनुआर रविशंकर ने अपने अध्ययन ''भारत की पंचवर्षीय योजनाएं और निर्धानता निवारण''

   में लिखा है कि वर्तमान समय में विशेषकर सन् 1977 के बाद के अधिकांश राजनीतिक दलों का उद्येश्य किसी न किसी प्रकार सस्ती

लोकप्रियता प्राप्त करना हो गया है चाहे इससे राष्ट्रीय हितों को कितनी भी हानि क्यों न हो। इसके अतिरिक्त राजनीतिक भ्रष्टाचार जो विभिन्न घोटाला, यथा बोफोर्स तोप घोटाला, यूरिया घोटाला, जैन हवाल काण्ड, पशुपालन घोटाला, चीनी घोटाला, अकलतरा घोटाला, इत्यादि के रूप में उभर कर सामने आयी है। वह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि देश में आर्थिक साधनों का बड़े पैमाने पर दुरूपयोग किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य केवल राजनेताओं को लाभ पहुंचाना है। इन्हीं राजनैतिक भ्रष्टाचारों के कारण निर्धनता दूर करने की योजनाएं अधूरी रह गई है।

4. डॉ.जेठाराम, ''भारत में लोकतंत्र परिवर्तन की दिशा''

मत डालते समय हर आम आदमी सिर्फ संसद का ही नही। बल्कि हर लोकतांत्रिक संस्थान की समाजिक लेखा परीक्षा करता है और उसका वोट पाकर वे सभी वैध बन जाते हैं। ग्राम स्तर की पंचायत, नगर निगम, राज्यविधायिका और संघीय संसद सभी वैधता के लिए जनता के वोट पर निर्भर करती हैं। लोकतंत्र को जनता का शासन या सरकार कहा जाता है किन्तु व्यवहार में यह जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकार होती है। मतदाता का महत्व और प्रभुत्व तो चुनाव के समय ही नजर आता है। वर्तमान भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य यही है कि लोकतंत्र की लगाम ''लोक'' के हाथों से फिसलकर सीमित और स्वार्थी तत्वों के हाथों में आ गई है। निर्वाचित होने के बाद वे अपनी जाति विशेष का विशेष ध्यान रखते हैं। जनप्रतिनिधि; जनप्रतिनिधि न होकर जाति प्रतिनिधि ज्यादा नजर आते हैं।

5. डॉ.कुमार ललित ने अपने शोध पत्र ''समाज का विकास एवं राजनीति''

में लिखा है कि समाजिक व्यवस्था पर राजनीतिक प्रभाव दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह राजनीतिक जागरण की स्थिति को प्रदर्शित करता है। इसका कारण शक्तियों का संकेन्द्रण राजनीतिक व्यक्तियों के पास होना है। विभिन्न चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ी है जिसके फलस्वरूप नवीन समाजिक स्वरूपों एवं संगठनों का निर्माण हुआ है। राजनीतिक शक्तियों का प्रभाव परिवर्तनकारी है जो सामाजिक परिवर्तन के

महत्वपूर्ण कारक हैं। इन परिवर्तनों में जनप्रतिनिधियों कि भूमिका महत्वपूर्ण है। राष्ट्र में जनप्रतिनिधि अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं राजनीतिक शक्ति सम्पन्न व्यक्ति हैं, जिसके व्यक्तिगत एवं संस्थागत निर्णयों का प्रभाव राष्ट्र की जनता पर पड़ता है।

6. डॉ. श्रीवास्तव सुनील ने अपने शोध पत्र '' भारत में संसदीय निर्वाचन''

में लिखा है कि लोकतंत्र की स्थापना ही नही; अपितु उसके मूल्यों के अनुरूप शासन के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन की व्यवस्था का अपना महत्व है। भारतीय निर्वाचन व्यवस्था राजनीतिक दलों पर अधिकतम आश्रित होती जा रही है। राजनीतिक दलों का लक्ष्य बर्बरता पूर्वक भी राजसत्ता पर अपना कब्जा बनाये रखना है। लोकतांत्रिक राजनीति के स्थान पर राजनीतिक दल व्यापारिक सिद्धांतों पर आधारित राजनीति पर आस्था रखने लगे है। इस आस्था ने भारत की लोकतांत्रिक निर्वाचन व्यवस्था को दूषित किया है ।

7. डॉ. प्रसाद डॉ. गोविंन्द ने अपने अध्ययन '' आधुनिक समाज की समस्याएं ''

में लिखा है कि जनता के हित में कोई भी कदम सरकार ही उठाती है। व्यापारियों एंव राजनीतिज्ञों की मिली भगत के कारण ऐसे निर्णय लिये जाते है ताकि व्यापारियों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। जनता के हितों को ताक पर रख दिया जाता है। बड़े–बड़े व्यापारी चुनाव के समय में राजनीतिज्ञों की सहायता करते है और बाद में ये राजनीतिज्ञ ऐसी नीति तय करते हैं जिससे व्यापारियों को अधिक से अधिक लाभ मिल सकें। टैक्स आदि जो जनता पर लगाया जाता है। उसका निर्णय सरकार ही करती है वह इस प्रकार की नीति तय करती है ताकि व्यापारियों को राहत मिल सकें।जनता का काई ध्यान नही रहता।

8. डॉ. मोदी एम.पी. ने अपने शोध पत्र ''भारतीय संसदीय संस्कृति''

में लिखा है कि संसदीय शासन के आधार पर मतदाता और राजनीतिक दल है जो परस्पर घटते सामंजस्य की ओर विकास कर रहें है। भारतीय शासन व्यवस्था में लोकतंत्रीकरण के लिये सामान्यजन को आकर्षित

करने, संगठित करने और दिशा देने की प्रक्रिया में राजनीतिक दलो ने जों समाजिक परिवर्तनो के प्रयास किए हैं उसका एक परिणाम यह हुआ है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जाति व्यवस्था समाप्त होने के स्थान पर और अधिक मजबूत होती जा रही है। देश में जातियों के बंधन टूटने के स्थान पर यह बंधन कठोर और जातिय वैमनस्यता की ओर जा रहें है राजनीतिक दल अपने को जातियों के आधार पर स्थापित कर रहें है ।

9. डॉ. मोदी एम. पी. ने अपने शोध ''संसदीय निर्वाचन 2004 ''

में लिखा है कि लोकतांत्रिक राजनीति में प्रचार एक अनिवार्य तत्व है, परन्तु पिछले 15 वर्षो में भारतीय राजनीतिक में प्रचार का रूप और स्तर गिर रहा है। राजनीतिक विरोध और प्रदर्शनों की लोकतांत्रिक संस्कृति से पृथक एक दूसरे की निजी जिंदगी के अंधेरे पक्षों को उघाड़ने और एक दूसरे के लिये अपमानजनक विशेषण तलाशने में राजनीतिक दल इस चुनाव में भी और अधिक लगे रहे। निर्वाचन के नकारात्मक प्रचार से मतदाताओं में राजनीति के प्रति कोई आकर्षण पैदा नहीं हुआ।

10. रंजन राजीव ने अपने अध्ययन '' चुनाव लोकसभा और राजनीति''

में बताया है कि भारतीय इतिहास में प्रायः साम्प्रदायिक आधार पर ही नेतृत्व का निर्माण हुआ है और इस पर कुछ उच्च वर्गों और भू स्वामियों का एकाधिकार रहा है। उन्होने कहा है कि मतदाताओं को निर्णय करने में भाग लेना चाहिए। यदि कोई दूसरा व्यक्ति उनके लिए निर्णय कर देता है तो उनके राजनीतिक व्यक्तित्व का विकास नही हो सकता ।

11. पी.–एच.डी. थीसिस शीर्षक '' नवें आम चुनाव में मतदान व्यवहार का राजनीतिक विश्लेषण ''(महासंमुद लोक सभा के संदर्भ में) द्वारा श्री मति शर्मा मधुलिका , 1993

में लिखा है कि भारतीय मतदाता के द्वारा विभिन्न चुनाव में किए गए मतदान के व्यवहार का अवलोकन करने पर कहा जा सकता है कि मतदाता अशिक्षित, ग्रामीण, अंधविश्वासी, रूढ़िवादी, अतिवादी राजनीतिक चेतना विहीन

होने के बावजूद भी परिपक्वता तथा सजगता का अभ्यास देता है। वह अपने को प्रजांतात्रिक पद्धति के अनुरूप ही सिद्ध करता है यह भारतीय प्रजातांत्रिक की विस्मयकारी वास्तविकता है।

12. पी.–एच.डी. थीसिस ''मध्यप्रदेश में स्थानीय निकायों के निर्वाचन में मतदान का व्यवहार का एक अध्ययन(भाटापारा नगरपालिका निर्वाचन 1994के विशेष संदर्भ में)'' द्वारा कुमारी शुक्ला मणि मेखला

ने नगरपालिका निर्वाचन में कांग्रेस की पुनः जीत का कारण उसके द्वारा कराए जाने वाले कार्य हैं जैसे बिजली, पानी, सड़क, स्कूल भवन ।

13. पी.–एच.डी. शोधग्रथं, शीर्षक, ''रायपुर संभाग में मतदान व्यवहार का विश्लेषण (1977 से 1993 तक)'' द्वारा कु. जोशी जय श्री ,1994

में उन्होने बताया कि मतदाता में अधिकाधिक परिपक्वता आती जा रही है। वह अब उम्मीदवारों की कथनी और करनी में भेद करने की क्षमता को प्राप्त कर चुका है। मतदाता जब सरकार से अधिक रूष्ट हो जाते है तो वे नकरात्मक मतदान करते है। कई बार सहानुभूतिक लहरों से प्रभावित होकर मतदान करते है। विधानसभा चुनावों और संसदीय चुनाव में जाति कभी हावी नही रही। धन का प्रभाव भी नही देखा गया। मतदान शान्तिपूर्ण रही। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक राजनैतिक जागरूकता है । जहां मतदाता जागरूक नही है, वे व्यवस्था के गुलाम हो जातें है। होना यह चाहिए कि वयवस्था मतदाताओं के नियत्रंण में हो ।

14. पी.–एच. डी. शोधग्रंथ शीर्षक, '',दुर्ग विधानसभा में मतदाताओं के मतदान व्यवहार का एक अध्ययन , (विधानसभा चुनाव –2003)'' द्वारा कु. चन्द्राकर अर्चना , 2006

में इन्होने लिखा है कि युग तेजी से बदल गया है। प्रारम्भ के कई चुनावो में लोग आंख मुंदकर मतदान करते थे और जिस किसी उम्मीदवार को कांग्रेस की टिकट मिल जाती थी उसे जिताना ही था।अब कांग्रेस का

जमाना समाप्तप्राय है और भाजपा और अन्य दल सामने आ रहे है अर्थात मतदाता परिवर्तन चाहता है, यही युग की मांग है।

15. विपस्सना सुधा ने अपने अध्ययन में ''भारतीय राजनीति में नैतिक संकट'' में बताया है कि राजनेताओं के कार्यकलाप स्वार्थी और स्वकेन्द्रित होते जा रहें है। राजनीति में अब संकीर्णता एवं स्वार्थ परायणता बढती जा रही है। साम्प्रदायिक टकराव एवं राजनीतिक संघर्ष बढ़ते जा रहें है। राजनीति में जातीय कलह, वैचारिक मतभेद, एकाधिकारी प्रवृतियां, समाजिक दुराग्रह, रूढिवादी असमानता एवं शोषण आदि विकृतियां तेजी से बढ रही है। राजनेता धार्मिक जीवन की पवित्रता से दूर होते जा रहें हैं। अच्छे लोंगो द्वारा राजनीति से पलायन करने के फलस्वरूप अब वहां अपराधिक प्रकृति के एवं माफिया वर्ग के लोगों की संख्या बढती जा रही है।

16. मजूमदार डॉ. रीना ने अपने शोध पत्र '' मध्यावधि निर्वाचन 1998 का भारतीय राजनीति पर प्रभाव ''

में बताया है कि राजनीतिक दलों में सिद्धांत और नीतियों के प्रति समर्पण का चिन्तन समाप्त हो गया है। देश के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं? इस पर चिन्तन किसी भी राजनीतिक दल में नहीं दिखाई दे रहा है। सत्ता और केवल सत्ता राजनीतिक दलों का अन्तिम लक्ष्य हो गई है। आज विश्वव्यापी परिवर्तनों में लोकतन्त्र, मानव अधिकार तथा गरीबी उन्मुलन प्रचार के माध्यम है। आर्थिक क्षेत्र में खुली प्रतिस्पर्धा के चलते गरीब और विकासशील देशों के सामने नई–नई चुनौतियां आ रही है। देश में भूख, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, अस्वास्थ्यकर जीवन सुविधायें है। इनको किस प्रकार हल करना है? किस प्रकार लोकतान्त्रिक ढंग से राज्य और समाज व्यवस्था में परिवर्तन होगा ? किस प्रकार संवैधानिक मूल्य वास्तविक होंगें ? कार्यपालिका किस प्रकार जनता के प्रति उत्तरदायी होगी ? निर्णय प्रक्रिया में किस प्रकार अधिकतम जन भागीदारी होगी ? जैसे असंख्य प्रश्नों के जवाब भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा खोजना अभी शेष है। राजनीतिक दलों में लोकतान्त्रिक प्रक्रिया का विकास, निर्णय प्रक्रिया में लोकतांत्रिक तरीकों का

अधिकाधिक प्रयोग दलों का नीतिगत ध्रुवीकरण आज की भारतीय राजनीति की प्रथम आवश्यकता है।

17. कुमार प्रो. पुनीत ने अपने अध्ययन '' भारतीय निर्वाचन व्यवस्था : एक समालोचनात्मक विश्लेषण ''

में कहा है कि भारतीय लोकतन्त्र अपराधियों की शरणस्थली बनती जा रही है। किसी भी राजनीतिक दल को अपराधिक चरित्र वाले व्यक्ति को अपना प्रत्याशी घोषित नहीं करना चाहिए। सम्प्रदाय व जाति के आधार पर मतदान प्राप्त करना न केवल अनैतिक है; बल्कि भारतीय संविधान की धर्म निरपेक्षता की अवधारणा का भी स्पष्ट उल्लंघन है। साम्प्रदायिकता का विष मतदाताओं की साक्षरता व जागरूकता के द्वारा ही कम किया जा सकता है। मतदान के असंतोषजनक प्रतिशत ने भारतीय लोकतन्त्र को बहुत हानि पहुॅचाई है। इसलिए मतदान कर्तव्य पालन की आवश्यकता का प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए ।

18. शर्मा कु.पदमा ने अपने शोध पत्र ''भारतीय राजनीति में मतदान व्यवस्था का सामाजिक स्वरूप ''

में लिखा है कि भारत में सामान्यतया निम्नलिखित तत्व मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं –जातिवाद, धर्म की भूमिका, आर्थिक स्थिति, भाषा, शिक्षा, शासक वर्गो की उच्च स्थिति, धन का प्रभाव आदि। कम या अधिक प्रचार तत्व भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करतें है। मतदाता अपने प्रयोग में इस बात से भी प्रभावित होता है कि किस उम्मीदवार के जीतने की संभावना अधिक है। वह हारते हुए उम्मीदवार को अपना मत देकर अपना मत नष्ट नही करना चाहता।

19. योजना अप्रैल 2009 ''15 वीं लोकसभा के लिए चुनावी महापर्व''

में लिखा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि उम्मीदवारों को इस बार दो शपथ पत्र देने होगें। एक में उनके अपराधिक जीवन के रिकार्ड होगा तथा दूसरे में उनकी सम्पत्ति और शैक्षिक योग्यताओं आदि का विवरण

होगा। आयोग ने निर्देश दिया कि निर्वाचन अधिकारी ये सूचनाएं प्रमुखता से बोर्ड पर लगाएंगे और जो भी इन्हे मागेंगा उसे तुरंत उपलब्ध करायेगें। आयोग ने स्पष्ट किया कि चुनाव खर्च में नेताओं के दौरे पर आया खर्च शामिल नही होगा लेकिन शेष खर्च का ब्योरा उन्हें विशेष रजिस्टर में देना होगा।

20. यादव डॉ. अनुपमा ने अपने शोध पत्र ''भारतीय आम चुनावों में जनादेशों का स्वरूप एवं संवैधानिक मूल्य (1952 से 2004)''

में लिखा है कि निर्वाचन जनता और उसकी सरकार के बीच संचार के माध्यम का कार्य करती है। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी राजनीतिक पद के लिए मतदाता द्वारा नेता चुने जाते हैं।वर्तमान समय में इस बात की आवश्यकता है कि जनादेश का निर्माण स्वस्थ परिवेश में पूर्ण जागरूकता के साथ किया जाए ताकि संवैधानिक जनतांत्रिक मूल्यों तथा संविधान के मूल ढाचें आदि की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकें। इसके लिए ईमानदार व नैतिक मूल्यों से प्रेरित राजनैतिक नेतृत्व की अनिवार्यता ही नहीं है; बल्कि हम सभी का ईमानदार व नैतिक होना अनिवार्य है। तभी स्वस्थ लोकतंत्र के विकास की संभावनाऐं आशाजनक हो सकती हैं।

7. शोध प्रबंध का सम्भावित निष्कर्ष :–

प्रस्तुत शोध का सम्भावित निष्कर्ष है कि मतदाता; कृषक, जातीय, मजदूर एवं कर्मचारियों के लिए बने दबाव समूह से प्रभावित होकर मतदान करते हैं। मतदाता चुनाव पूर्व किए गए प्रचार–प्रसार से प्रभावित होकर मतदान करते हैं। इसके अलावा प्रत्याशियों द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों और निजी हितों से प्रेरित होकर मतदान करते हैं। अधिकांशतः महिलाऐं अपने परिवार के सदस्यों या करीबी रिश्तेदारों द्वारा बताए गए प्रत्याशी को मत देती है। किसी प्रत्याशी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के साथ घटित कोई दुर्घटना भी मतदाताओं के मन में सहानुभूति उत्पन्न करता है, जिससे मतदाता उसी प्रत्याशी को मतदान करता है।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में मतदान के विभिन्न सोपान है, जैसे – ग्राम पंचायत स्तर पर, जनपद पंचायत स्तर पर, जिला पंचायत स्तर पर, नगरीय निकायों में और विधानसभा व लोक सभा स्तर पर। जनता इस मनोविज्ञान से आच्छादित है, कि प्रत्याशी या पार्टी हमारी अपेक्षा पर खरे नहीं उतरते तो मतदान के माध्यम से हम परिणाम तय कर सकतें है। चूंकि मतदान व्यवहार के संदर्भ में जैसे–जैसे मेरा शोध कार्य बढ़ता जाएगा, मेरे निष्कर्ष में परिवर्तन भी संभव है।

8.शोध कार्य की अवधि में प्रस्तावित शोध प्रणालियां जिनका प्रयोग किया जाना है–

यह शोध प्रबंध व्यवहारिक प्रणालियों पर आधारित होगा। विषय वस्तुओं के आधार पर निम्न प्रणालियों का प्रयोग किया जाएगा–

(अ) प्राथमिक स्त्रोतों से विषय वस्तु का संग्रहण –

यह सामग्री मेरे द्वारा ही निम्न प्रणालियों का प्रयोग कर संग्रहित किया जाएगा। जैसे –

1. साक्षात्कार के लिए सैम्पलिंग
2. सर्वेक्षण के लिए सैम्पलिंग
3. अवलोकन
4. निजी स्तर पर आंकड़ों का संग्रहण
5. प्रश्नावली

(ब) द्वितीयक स्त्रोतों के लिए निम्न का उपयोग किया जाएगा –

सरकारी प्रकाशन, पत्र–पत्रिकाओं, विभिन्न अखबारों व सरकारी प्रशासन तथा विषय से सम्बंधित पुस्तकें आदि।

9.सर्वेक्षण के लिए सैम्पलिंग

बालोद विधानसभा क्षेत्र का पूरा सर्वे करना, सभी से प्रश्न पूछना, सभी स्त्रोतों का अवलोकन करना सम्भव नही होगा। चुनें हुए प्रतिनिधियों, ग्रामों और ग्रामीण समाज का प्रतिनिधित्व करने वालों से साक्षात्कार लेना ही पर्याप्त होगा। इसलिए अध्ययन क्षेत्र का Valid sample किया जाता है। यह सैम्पल अपने वर्ग का प्रतिनिधि होता है।

विषय के अध्ययन के लिए निम्न प्रकार से सैम्पलिंग का प्रयास किया जाएगा । इसे दैव निदर्शन (Random Sampling) कहते हैं।

1. समस्त राजनीतिक दल के प्रत्याशियों का साक्षात्कार
2. अधिकारी – 02
3. कर्मचारी – 60
4. शिक्षक – 60
5. कृषक – 60
6. व्यापारी – 60
7. महिला – 60

कुल – 302

इनका साक्षात्कार लिया जाएगा ।

10. सन्दर्भ ग्रन्थ सूची –

1. अटल योगेश, ''लोकल कम्युनिकेशन एण्ड नेशनल पॉलिटिक्स'', देल्ही, 1971
2. अवस्थी डॉ.एम.पी., ''भारतीय शासन एवं राजनीति'', चतुर्थ संस्करण, 2007, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा
3. आस्टिन ग्रेनिवल, ''द इंडियन कॉस्टिटयुशनःकार्नर स्टोन ऑफ इंडिया'',
4. आर्शीवाद्म ए.डी. एवं मिश्र कृष्णकान्त, ''राजनीति विज्ञान'', एस.चन्द एण्ड कंपनी लिमिटेड
5. कुमार डॉ. ललित, ''समाज का विकास एवं राजनीति शोध उपक्रम'',अप्रैल, 2011, छत्तीसगढ़ शोध संस्थान रायपुर
6. कुमार प्रो.पुनीत,''भारतीय निर्वाचन व्यवस्था एक समालोचनात्मक विश्लेषण'', अ जर्नल आफ एशिया फार डेमोक्रेसी एन्ड डेवलप्मेन्ट, जनवरी–मार्च, 2005
7. कदम शतायु, ''दुर्ग जिले का 100 वर्षो का इतिहास'', प्रकाशित, 2006
8. कश्यप सुभाष, ''हमारी संसद (भारत की संसद एक परिचय)'',तृतीय संस्करण, 1999, नेंशनल बुक ट्रस्ट इंडिया
9. कश्यप डॉ. सुभाष, ''संविधान की आत्मा'',
10. गुप्त डॉ. गीता, 26 अप्रैल 2009 डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. देशबंधु डॉट कॉम
11. चतुर्वेदी दिनेश चन्द्र, ''भारतीय शासन एवं राजनीति'',
12. चौधरी बलवीर बहादुर, ''भारतीय शासन एवं राजनीति'',चतुर्थ संस्करण,1987–88, महावीर बुक डिपो दिल्ली
13. चौधरी बलवीर बहादुर, ''भारतीय शासन एवं राजनीति'', संस्करण 1986, महावीर प्रकाशन
14. जैन डॉ. पुखराज, ''राजनीति विज्ञान'', संस्करण, 2000, साहित्य भवन पब्लिकेशन
15. जैन पुखराज, फाडिया बी.एल., ''भारतीय शासन एवं राजनीति'', 16वां संस्करण, 2009,साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा
16. जैन पुखराज, ''भारतीय राज व्यवस्था'', संस्करण द्वितीय, 1976, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।

17. जैन एम.पी., ''भारतीय संवैधानिक विधी'', इलाहाबाद लॉ एजेन्सी,
18. जोन्स मोरिस, ''भारतीय शासन एवं राजनीति''
19. जोशी आर.पी., आढ़ा आर.एस., ''पुर्नरचना के विविध आयाम'', प्रथम संस्करण, 2000
20. जमुआर डॉ. रविशंकर, ''भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ और निर्धनता निवारण'', प्रथम संस्करण, 2003, राधापब्लिकेशन,
21. डॉ. जेठाराम, ''भारत में लोकतंत्र परिवर्तन की दिशा'', अ जर्नल आफ एशिया फौर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेन्ट, vol -X (JUD.1) , जनवरी मार्च, 2010
22. डॉ. मोदी डॉ. एम.पी., ''संसदीय निर्वाचन –2004'', अ जर्नल आफ एशिया फार डेमोक्रेसी एन्ड डेवलप्मेन्ट, जनवरी–मार्च, 2005
23. तोमर डॉ. पी.एस. एवं जैन डॉ. राकेश, ''भारत में प्रथम संसदीय निर्वाचन 1951 एक विश्लेषण'' अ जर्नल आफ एशिया फार डेमोक्रेसी एन्ड डेवलप्मेन्ट, जनवरी–मार्च, 2005
24. दैनिक भास्कर, ''राज्य निर्माण'', संस्करण 2000
25. नारायण इकबाल, ''स्टेट पालिटिक्स इन इंडिया'', एशिया पब्लिसर्स बम्बई, 1974
26. प्रसाद डॉ. राजेन्द्र, ''स्वतंत्रता की झलक'',
27. प्रसाद डॉ. गोविन्द,''आधुनिक समाज की समस्याएँ'', प्रथम संस्करण, 2007, डिस्कवरी पब्लिसिंग हाऊस, दिल्ली, पृ. 36,
28. पाण्डेय जयनाराण, ''भारत का संविधान'', 1981
29. पी–एच. डी. थीसिस, ''मध्यप्रदेश में स्थानीय निकायों के निर्वाचन में मतदान व्यवहार का एक अध्ययन'',भाटापारा नगर पालिका निर्वाचन, 1994, के विशेष सन्दर्भ में,शुक्ला मणि मेखला
30. पी–एच. डी. थीसिस शीर्षक, ''नवें आम चुनाव में मतदान व्यवहार का राजनीतिक विश्लेषण'',महासमुन्द लोकसभा के सन्दर्भ में
31. पी–एच. डी. थीसिस शीर्षक, ''दुर्ग विधानसभा में मतदाओं के मतदान व्यवहार का एक अध्ययन'', चन्द्राकर कु. अर्चना, 2006
32. पी–एच. डी. थीसिस शीर्षक, ''रायपुर संभाग में मतदान व्यवहार का विश्लेषण, 1977 से 1993 तक'', जोशा कु. जयश्री, 1994

33. फाडिया बी.एल., ''राजनीति विज्ञान के आधार'', द्वितीय संस्करण, 1990, कैलाश बुक सदन
34. बसु दुर्गा दास, '' भारत का संविधान एक परिचय'', प्रेंटिस हाल ऑफ इंडिया प्रा.लिमिटेड, नई दिल्ली, 1974
35. ब्राईस लार्ड, ''मार्डन डेमोक्रेसी''
36. भारत 2008 : गवेषणा'', संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा संपादित एवं संकलित, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय भारत सरकार
37. मजूमदार डॉ. रीना, ''मध्यावधि निर्वाचन 1998 का भारतीय राजनीति पर प्रभाव'', अ जर्नल आफ एशिया फार डेमोक्रेसी एन्ड डेवलप्मेन्ट, जनवरी–मार्च, 2005
38. मलिक योगेन्द्र, कपूर अशोक, ''इंडिया फिफ्टी इयर आफ डेमोक्रेसी एण्ड डिवलप्मेन्ट''
39. मिनेनी डॉ.एस. आर.,पॉलिटिकल साइंस, सेकंड एडिशन, 2006, इलाहाबाद लॉ एजेंसी
40. मिश्र डॉ. रमेन्द्रनाथ एवं शुक्ला डॉ. शान्ता, ''छत्तीसगढ़'', दीक्षित ब्रदर्स रायपुर, 1890
41. मोदी डॉ. एम. पी.,''भारतीय संसदीय संस्कृति'',अ जर्नल आफ एशिया फौर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेन्ट, वाल्यूम–3, 2007
42. योजना, अप्रैल 2009, ''15वीं लोकसभा के लिए चुनावी महापर्व ''
43. यादव डॉ.अनुपमा, ''भारतीय आम चुनावों में जनादेशों का स्वरूप एवं संवैधानिक मूल्य'', 1952 से 2004,अ जर्नल ऑफ एशिया फार डेमोक्रेसी एन्ड डेवलप्मेन्ट,जनवरी–मार्च, 2005
44. रंजन राजीव, ''चुनाव लोकसभा और राजनीति'', प्रथम संस्करण, 2000, ज्ञान गंगा, दिल्ली
45. वर्मा डॉ. भगवान सिंह, ''छ.ग. का इतिहास : प्रारंभ से 1947 तक'', चतुर्थ संस्करण, 2003, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल
46. वर्मा डॉ. विश्वनाथ प्रताप, ''निर्वाचन और राजनीति'', प्रथम संस्करण, 1970, विहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

47. विपस्सना सुधा, ''भारतीय राजनीति में नैतिक संकट'', प्रथम संस्करण, 2002, राज पब्लिशिंग हाऊस,जयपुर
48. वीनर मायनर, ''पॉलिटिकल चेंज इन साऊथ एशिया'', 1983
49. शर्मा डॉ. शंकर दयाल, ''लोकतंत्र की प्रक्रिया'', मनीष प्रकाशन, अल्मोड़ा
50. शर्मा भद्रदत्त, ''आधुनिक शासन तन्त्र''
51. शर्मा कु. पद्मा, ''भारतीय राजनीति में मतदान व्यवस्था का सामाजिक स्वरूप'', अ जर्नल आफ एशिया फौर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेन्ट, पंचम संस्करण, क्र–2, अप्रेल–जून, 2005
52. त्रिपाठी संजय एवं त्रिपाठी श्रीमति चंदन, ''छत्तीसगढ़ वृहद संदर्भ '', उपकार प्रकाशन, आगरा
53. श्रीवास्तव सुनील, ''भारत में संसदीय निर्वाचन''अ जर्नल आफ एशिया फौर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेन्ट, पंचम संस्करण, क्र–2, जनवरी–मार्च, 2005

छ.ग. से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

1. नवभारत
2. दैनिक भास्कर
3. अमृत संदेश
4. देशबन्धु
5. हरिभूमि
6. पत्रिका

11.**शोधार्थी के प्रकाशित लेख :–**

अभी तक मेरा किसी भी शोध पत्र में आलेख प्रकाशित नहीं हो पाया है। लेकिन मैं विभिन्न शोध पत्रों में आलेख प्रकाशित करने के लिए चार शोध पत्र तैयार कर प्रेषित कर चुकी हूं। आशा है निकट भविष्य में शोध पत्र प्रकाशित हो जाएगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शा.वि.या.ता.स्वशासी स्नाकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) में तारीख 11–10–2011 एवं 12–10–2011 को राष्ट्रीय संगोष्ठी में ''भारतीय संसद में विपक्ष की भूमिका'' विषय पर आलेख पठन कर चुकी हूं एवं वहां से प्रकाशित स्मारिका में आलेख प्रकाशित भी हुआ है ।

2013

शोध निर्देशिका

डॉ. नागरत्ना गनवीर
सहायक प्राध्यापक
(राजनीति विज्ञान विभाग)
शासकीय महाविद्यालय,
नगरी–सिहावा (छ.ग.)

सह निर्देशक

डॉ. अजय चन्द्राकर
संयोजक एवं विभागाध्यक्ष
(राजनीति विज्ञान विभाग)
दुर्गा महाविद्यालय ,
रायपुर (छ.ग).

शोध छात्रा

रजनी पटेल

अग्रेषित

प्राचार्य
डॉ. एस.एस. खनूजा
दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर(छ.ग.)

शोध केन्द्र :–दुर्गा महाविद्यालय , रायपुर (छ.ग).